



भारत सरकार / Government of India
खान मंत्रालय / Ministry of Mines
भारतीय खान ब्यूरो / Indian Bureau of Mines
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय / Office of the Regional Controller of Mines
भवन सं. 61, भारतीय सर्वेक्षण परिसर, सर्वे चौक, देहरादून (उत्तराखण्ड) 248001/
Building no. 61 survey of India campus, Dehradun (U.K.) 248001
Tel- 0135-2676350 / 2671896, E-mail - ro.dehradun@ibm.gov.in

कारण बताओ नोटिस
Registered AD/Speed post/Email



File No.: MCDR-MiFLOLST/11/2023-DDN-IBM_RO_DDN Mine Code: 38HPR10038

Date: 03.06.2025

सेवा में / To,

मैसर्स चुही राम शर्मा
गाँव: कमरऊ, तहसील: पौंटा साहिब
जिला: सिरमौर हिमाचल प्रदेश
ईमेल: mcshimachal@gmail.com

विषय / Subject: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में 3.05 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली भीमगोड़ा चूना पत्थर खदान के संबंध में खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन।

महोदय / Sir,

नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने आपके खदान प्रतिनिधि श्री अनिल ठाकुर की उपस्थिति में 29.11.2024 व 28.06.2025 को आपकी खदान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान, आपकी खदान में खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2017 (एमसीडीआर 2017) के निम्नलिखित प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया। पत्र संख्या 614(2)/एमएस-बी-65/98-डीडीएन, दिनांक 18/08/2022 द्वारा उपर्युक्त खदान की खनन योजना की अनुमोदित समीक्षा में वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक के प्रस्तावों को शामिल किया गया है। निरीक्षण के दौरान, यह पाया गया कि खनन कार्य खनन योजना की अनुमोदित समीक्षा में उल्लिखित प्रस्तावों के अनुसार नहीं किए जा रहे थे। निरीक्षण के दौरान देखे गए विशिष्ट विचलन इस प्रकार हैं:

Rule No	Nature of show cause observed in detail
---------	---

Rule 11(1) Mining operations under mining lease: No holder of a mining lease shall commence or carry out mining operations in any area except in accordance with the mining plan approved, modified or reviewed by the Indian Bureau of Mines or prepared and certified in accordance with the system established by the State Government. Observations are as follows:

- It was proposed to maintain benches in mineral with a height of 5 m but the benches height was found in the range of 8 to 10 m.*
- Development work proposed in 3 benches however during the inspection 2 benches were seen.*

नोट :- खान मालिक द्वारा उलंघन पत्र के जवाब में दिए गए अनुपालन पत्र में नियम **42, 45(7), 54 व 55** की अनुपालना को मान लिया गया है | नियम **11(1)** का जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया है | अतः पुनः अनुपालन करने की कार्यवाही करे |

- इस संबंध में, यह आपके संज्ञान में लाया जाता है कि नियम 11(1) का उल्लंघन नियम 62(1) एम सी डी आर संसोधन नियम -2021 के तहत दंडनीय अपराध है |
- इसके अतिरिक्त नियम 11(1) की पालना निर्धारित समयावधि में न होने पर नियम 11(2) के तहत खनन कार्य स्थगन करने की अनुसंधा की जा सकती है, और / या आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है |
- अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का तत्काल सुधार कर इसकी सूचना इस पत्र के जारी होने की तिथि से 30 दिनों के अंदर इस कार्यालय को भेजे।

Yours faithfully,

नितिन /Nitin
कनिष्ठ खनन भू-विज्ञानी/Junior Mining Geologist
भारतीय खान ब्यूरो/Indian Bureau of Mines

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1) खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर। (zo.udaipur@ibm.gov.in)
- 2) निदेशक उद्योग निदेशालय, हि. प्र. सरकार, उद्योग भवन, शिमला (हि. प्र.). (geologicalwing@gmail.com)
- 3) गार्ड फाइल

नितिन /Nitin
कनिष्ठ खनन भू-विज्ञानी/Junior Mining Geologist
भारतीय खान ब्यूरो/Indian Bureau of Mines